न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
उंकार बनाम सरकार
GCMS No- 2022/656
प्रकरण संख्या 229 / 2022 प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 229 / 2022 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2022 / 656

श्री उंकार पुत्र डालु जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
–प्रार्थी

/ / बनाम / /

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।
2. श्री केसरीमल पिता नारायण खटीक आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा।
3. आशा पत्नी केसरीमल खटीक आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम– 1956

उपस्थित :– 1– श्री सआदत अली – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पैरोकार सरकार – विपक्षी संख्या 01

:: निर्णय :: दिनांक :– 18.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 423 मीन रकबा 0.4100 है0 लगानी 4 रुपये 92 पैसा ग्राम कचरियाखेडी तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित है। नकल जमाबन्दी साथ में पेश है।

2. इस आराजी के पुराने नम्बर 236 शा.नं. 237 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा थे जो केसरीमल पिता नारायण श्रीमती आशा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा 1 / 2 एवं उंकार पिता डालु मेघवाल (चमार) निवासी ढोरिया 1 / 2 के खातेदारी के थे। जिनका आपसी सहमति से कब्जे के आधार पर सन् 2011 में बंटवारा हो गया था। जिसमें इस आराजी का पश्चिमी हिस्सा 1 बीघा 13 बिस्वा केसरीमल पिता नारायण एवं आशा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी [illegible] का 1 बीघा 12 बिस्वा हिस्सा उंकार पिता डालु मेघवाल के रहा। [illegible] उंकार की 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि के नये नम्बर 423 मीन रकबा 0.4100 हैक्टयर एवं केसरीमल पिता नारायण व आशा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा 1 बीघा 13 बिस्वा के नये नम्बर 914 / 423 तथा 896 / 423 [illegible] नारायण व आशा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा ने अपनी कब्जे हिस्से कि यह आराजियात आबादी में कन्वर्ट करा ली जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

3. प्रार्थी की आराजी नम्बर 423 मीन बटवारे हिस्से अनुसार मौके पर आज भी वैसी ही है। केसरीमल एवं श्रीमती आशा ने जो कन्वर्जन कराया वो उनके कब्जे अनुसार करायाउसके पश्चात् जो नक्शे में तरमीम की गई उसमें प्रार्थी की आराजी नम्बर 423 मीन उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर नक्शे में सहवन से कमी कर दी गई। जिससे नक्शे अनुसार प्रार्थी की आराजी कम हो गई जबकि खाते व मौके पर पूरी आराजी है। प्रार्थी की आराजी उत्तरी पश्चिमी दिशा में पश्चिम की ओर नक्शें में बढ़ी हुई होनी चाहिए किन्तु नक्शे में कमी कर दी गई हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी आराजी के नक्शे में जो सहवन से गलती हो गई है उसे दुरुस्त कराना चाहता है। साथ में केसरीमल व आशा ने जो कन्वर्ट कराई उसके सारे दस्तावेज प्रामाणित फोटोप्रतियां पेश है जिससे मौके की सही स्थिति न्यायालय के समक्ष आ जायेगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि राजस्व नक्शें में सहवन से गलती हो गई है उसे दुरुस्त कराया जावें नक्शे में तरमीम व संशोधन किया जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/913 दिनांक 03.07.2023 के माध्यम से प्रकरण में अपनी जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है की प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के कथनानुसार जांच हेतु पुराना साबिक राजस्व रेकार्ड एवं साबिक भू प्रबन्ध नक्शा व वर्तमान राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शा से जांच की गई। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 423 रकबा 0.41 हैक्टेयर खातेदार उंकार पिता डालु मेघवाल निवासी ढोरिया के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा आराजी नम्बर 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 914/423 रकबा 0.21 हैक्टेयर निजी खातेदारी से सम्परिवर्तित भूमि प्रयोजनार्थ दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी नम्बर 236, 237 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के नवीन भू प्रबन्ध से मिलान क्षैत्रफल अनुसार आराजी नम्बर 423 रकबा 0.82 हैक्टेयर बना हुआ है। साबिक आराजी नम्बर 236, 237 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा श्री केसरीमल पिता नारायण, श्रीमती आशा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा 1/2, उंकार पिता डालु मेघवाल निवासी ढोरिया 1/2 के नाम दर्ज रेकार्ड होकर नामांतरण संख्या 1255 स्वीकृत दिनांक 17.01.2011 से आपसी सहमति विभाजन से किया गया। इसमें तरमीम नक्शा संलग्न नहीं किया गया, केवल खातेदार श्री केसरीमल पिता नारायण, आशा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा का हिस्सा 1–13 बीघा पश्चिम दिशा की ओर एवं उंकार पिता डालु मेघवाल निवासी ढोरिया का हिस्सा 1–12 बीघा पूर्व दिशा की ओर दर्ज किया गया। तरमीम नक्शा संलग्न उपलब्ध नहीं किया गया तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने उपरान्त भी साबिक गत भू प्रबन्ध नक्शा तहसील अभिलेखागार में उपलब्ध में भी तरमीम पुख्ता नहीं की गई है। वर्तमान में मौके पर [illegible] विभाजन अनुसार काबिज है। वर्तमान में आराजी नम्बर 423 रकबा 0.82 हैक्टेयर [illegible] अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में पूर्व की ओर 423 मीन रकबा 0.41 है [illegible] खातेदार श्री उंकार पिता डालु मेघवाल निवासी ढोरिया के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा पश्चिम दिशा में आराजी नं0 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914/423 रकबा 0.21 हैक्टेयर श्रीमती आशा पत्नी केसरीमल, केसरीमल पिता नारायण खटीक निवासी निम्बाहेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुए थे, जो कि खातेदार द्वारा अपनी आराजी सम्परिवर्तन दिनांक 9.01.2013 को तहसीलदार निम्बाहेड़ा के आदेश क्रमांक/राजस्व/भू.रू./2013/01 व 02 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2023.09.14 17:17:20 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

09.01.2013 से सम्परिवर्तित करवाई गई। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त सम्परिवर्तित आराजी नम्बर 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 914/423 रकबा 0.21 हैक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ भूमि दर्ज रेकार्ड है। सम्परिवर्तन आदेश में संलग्न प्रस्तावित साईट प्लान प्रमाणित होकर संलग्न है। वर्तमान राजस्व नक्शा में दर्ज तरमीम सम्परिवर्तित राजस्व साईट प्लान नक्शे अनुसार नहीं है। प्रार्थी श्री उंकार पिता डालु मेघवाल निवासी ढोरिया द्वारा अपनी खातेदारी साईट प्लान में दर्शाये राजस्व नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में सही तरमीम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। साबिक राजस्व नक्शा में अभिलेखागार में कोई पुख्ता तरमीम नहीं है तथा सहमति विभाजन में भी कोई तरमीम नक्शा संलग्न नहीं है। लेकिन मौके पर काबिज अनुसार व सम्परिवर्तित आराजी नम्बर 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 914 रकबा 0.21 हैक्टेयर के संलग्न साईट प्लान नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम शुद्धि करने हेतु वर्तमान राजस्व नक्शा में संशोधित प्रस्तावित तरमीम नक्शा संलग्न प्रस्तावित किया गया है। वकील प्रार्थी ने दिनांक 04.08.2023 को एक आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर श्री केसरीमल पिता नाराण खटीक निवासी निम्बाहेड़ा एवं आशा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा को प्रकरण में विपक्षी पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश दिये गये। वकील प्रार्थी नियमानुसार संशोधित उनवान एवं संयोजित पक्षकारों के सम्मन प्रोसेस पेश किया जो जारी किये गयें। विपक्षी संख्या 2 केसरीमल स्वयं अपनी और विपक्षी संख्या 3 आशा की ओर से न्यायालय हाजा में पेशी में उपस्थित हुए तथा तसहीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की तथा तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की।

5. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों में ग्राम कचरियाखेड़ी पटवार हल्का ढोरिया की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 15 की आराजी 423 मीन रकबा 0.4100 हैक्टेयर, जमाबन्दी संवत् 2077–80 की खाता संख्या 1 की आराजी नम्बर 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914/423 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.41 हैक्टैयर की प्रमाणित प्रति, आपसी सहमति बटवारे की फोटोप्रति, ग्राम कचरियाखेड़ी की नामान्तरकरण संख्या 1255 एवं नवीन नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, ग्राम कचरियाखेड़ी आराजी नं0 896/423 व 914/423 का सम्परिवर्तन आदेश एंव साईट प्लान नक्शें की फोटोप्रतियां पेश की है।

6. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्तावित राजस्व नक्शा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में [illegible] संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम कचरियाखेड़ी पटवार हल्का ढोरिया कि [illegible] आराजी नम्बर 236, 237 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के नवीन भू प्रबन्ध [illegible] आराजी नम्बर 423 रकबा 0.82 हैक्टेयर बना हुआ है। साबिक आराजी नम्बर 236, 237 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा श्री केसरीमल पिता नारायण, श्रीमती आशा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा 1/2, उंकार पिता डालु मेघवाल निवासी ढोरिया 1/2 के नाम दर्ज रेकार्ड होकर इस आराजी का नामांतरण संख्या 1255 स्वीकृत दिनांक 17.01.2011 से आपसी सहमति विभाजन किया गया। इसमें तरमीम नक्शा संलग्न नहीं किया गया, केवल खातेदार श्री केसरीमल पिता नारायण, आशा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा का हिस्सा 1–13 बीघा पश्चिम दिशा की ओर एवं उंकार पिता डालु मेघवाल निवासी ढोरिया का हिस्सा 1–12

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:17:20 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

बीघा पूर्व दिशा की ओर दर्ज किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार तरमीम नक्शा संलग्न उपलब्ध नहीं किया गया तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने उपरान्त भी साबिक गत भू प्रबन्ध नक्शा तहसील अभिलेखागार में उपलब्ध में भी तरमीम पुख्ता नहीं की गई है। वर्तमान में मौके पर सहमति विभाजन अनुसार काबिज है। वर्तमान में आराजी नम्बर 423 रकबा 0.82 हैक्टेयर विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में पूर्व की ओर 423 मीन रकबा 0.41 हैक्टेयर खातेदार श्री उंकार पिता डालु मेघवाल निवासी ढोरिया के नाम दर्ज रेकार्ड हैं तथा पश्चिम दिशा में आराजी नं0 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914/423 रकबा 0.21 हैक्टेयर श्रीमती आशा पत्नी केसरीमल, केसरीमल पिता नारायण खटीक निवासी निम्बाहेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुए थे, जो कि खातेदार द्वारा अपनी आराजी सम्परिवर्तन दिनांक 09.01.2013 को तहसीलदार निम्बाहेड़ा के आदेश क्रमांक/राजस्व/भू.रू./2013/01 व 02 दिनांक 09.01.2013 से सम्परिवर्तित करवाई गई। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त सम्परिवर्तित आराजी नम्बर 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 914/423 रकबा 0.21 हैक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ भूमि दर्ज रेकार्ड है। सम्परिवर्तन आदेश के साथ संलग्न प्रस्तावित साईट प्लान प्रमाणित फोटोप्रति होकर संलग्न है। वर्तमान राजस्व नक्शा में दर्ज तरमीम सम्परिवर्तित राजस्व साईट प्लान नक्शे अनुसार नहीं है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया की साबिक राजस्व नक्शा में अभिलेखागार में कोई पुख्ता तरमीम नहीं है तथा सहमति विभाजन में भी कोई तरमीम संलग्न नहीं है, लेकिन मौके पर काबिज अनुसार व सम्परिवर्तित आराजी नम्बर 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 914 रकबा 0.21 हैक्टेयर के संलग्न साईट प्लान नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शें में तरमीम करने हेतु संशोधित प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मौके पर काबिज अनुसार व सम्परिवर्तित आराजी नंम्बर 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 914 रकबा 0.21 हैक्टेयर के संलग्न साईट प्लान नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शें में तरमीम करने हेतु प्रस्तुत संशोधित प्रस्तावित राजस्व नक्शा से हम सहमत है। विपक्षी संख्या 2 केसरीमल पिता नारायण खटीक ने भी तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त संशोधित प्रस्तावित राजस्व नक्शा अनुसार नवीन राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम—1956 पर्याप्त सबूतों एवं राजस्व नक्शें में सही तरमीम हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत संशोधित तरमीम नक्शा एवं विपक्षी द्वारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किये जाने से स्वीकार किया जाकर जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कचरियाखेड़ी पटवार हल्का ढोरिया की आराजी नं0 423 मीन रकबा 0.41 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 896/423 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914/423 रकबा 0.21 हैक्टे[illegible]वित राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम शुद्धि नक्शा अनुसार वर्तमान [illegible] क्शें तरमीम की जावें। संशोधित प्रस्तावित राजस्व नक्शा ट्रेस [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:17:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.08.2023 को लिखाया [illegible] कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

18/8/23

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा